

प्रेस नोट

फतेहपुर-थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 1.300 किलोग्राम अवैध नाजायज गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:--आज दिनांक 13.04.2024 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर सूचना पर अभियुक्त वकार कुरेशी उर्फ रम्पत को नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-162/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के क्रम में गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:--

ननकू मैदान के आगे पक्का पुल पीरनपुर, 13.04.2024 समय- 10.30 बजे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:--

वकार कुरेशी उर्फ रम्पत पुत्र मुख्तार निवासी मुचियाना मस्जिद के बगल पनी थाना कोतवाली फतेहपुर उम्र 26 वर्ष।

बरामदगी:-

01.300 ग्राम नाजायज गांजा

अभियुक्त वकार कुरेशी उर्फ रम्पत का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 676/2019 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 85/2020 धारा 323/354 क भादवि थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 231/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
4. मु0अ0सं0 583/2022 धारा 354ख/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
5. मु0अ0सं0 340/2023 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
6. मु0अ0सं0 558/2023 धारा 323/504/506/354क भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
7. निवारक कार्यवाही सं0 120/2023 धारा गुण्डा अधि० दिनांक 21.05.2023 थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर
8. मु0अ0सं0 162/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:--

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।
2. उ0नि0 अनुज यादव
3. का0 सुमित
4. का0 नरेन्द्र